महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः—स्था. / ाा / वि.पदो. / 2025 / दिनांकः—E-sign date

1. उप महानिरीक्षक कारागार,
   रेंज जयपुर / उदयपुर / जोधपुर
2. समस्त प्रभारी, कारागृह राजस्थान
3. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर

विषयः—पदोन्नति संवर्ग पाठयक्रम के लिए विशेष नाम निर्देशन बाबत।
प्रसंगः—मुख्यालय कारागार के पत्रांक 18046—18176 दिनांक 01.07.2024

महोदय,

विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में पुनः प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम—1998 के नियम 36(2) के नियम—7 में जेलर तक की अगली उच्चतर रैंक के लिए किसी वर्ष विशेष में पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का 10 प्रतिशत सीमा तक पदोन्नति सवंर्ग पाठयक्रम के लिए विशेष नाम निर्देशन का प्रावधान है। यह प्रावधान सेवा के उन सदस्यों के मामले में किया जा सकेगा, जिन्होने वित्तीय वर्ष 2020—21, 2021—22, 2022—23 एवं 2023—24 में बंदी के कारागार से निकल भागने से रोकने के कार्य में या कारागार प्रबन्धन के अन्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो।

इस कड़ी में प्रहरी से मुख्य प्रहरी पद के लिए उक्त वर्षों हेतु विशेष पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अतः आपके कार्यालय / कारागृहों पर कार्यरत **मुख्य प्रहरी से उप कारापाल संवर्ग के** कार्मिको द्वारा उक्त वर्षो में संदर्भित अवधि के भीतर (वित्तीय वर्ष 2020—21, 2021—22, 2022—23 एवं 2023—24) उक्त नियमों के परिपेक्ष्य में कोई विशेष कार्य किया हो और वह राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम—1998 के नियम 36(2) के नियम—7 के अनुसार पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम के लिए विशेष नाम निर्देशन हेतु पात्र हो, के सबंध में प्रस्ताव प्राप्त कर मय संबंधित कार्यालयाध्यक्ष की स्पष्ट टिप्पणी सहित इस कार्यालय को भिजवाया जावे।

उक्त कार्यवाही वर्ष 2023—24 के लिए है (वर्ष 2020—21, 2021—22 एवं 2022—23 की डीपीसी पूर्ण हो चुकी है), जिसमें कार्मिक द्वारा संदर्भित अवधि के भीतर कारागारों से बंदियों के निकल भागने से रोकने का कार्य किया हो अथवा कारागार प्रबंधन के अन्य क्षेत्र मे किया गया उत्कृष्ट कार्य हो, के संबंध में ही आवेदन किया जावे।

इन प्रकरणों की शर्तें एवं प्रेषित करने के प्रावधान प्रासंगिक पत्र के अनुसार ही रहेंगे। सुलभ संदर्भ हेतु प्रासंगिक पत्र संलग्न प्रेषित है।

नोटः—समस्त कारागृह प्रभारी उक्त से समस्त कार्मिकों (मुख्य प्रहरी से उप कारापाल तक) को सम्पर्क सभा लेकर / नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें तथा पात्र कार्मिकों के प्रस्ताव बाद पूर्ण परीक्षण के दिनांक 07.07.2025 तक आवश्यक रूप से महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर को भिजवाया जावे।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(रूपिन्दर सिंघ)
अति.महानिदेशक पुलिस
कारागार, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपिः—

1. कार्यालयाध्यक्ष एवं अधीक्षक, मुख्यालय कारागार, राजस्थान जयपुर।
2. समस्त शाखा प्रभारी, मुख्यालय कारागार, राजस्थान जयपुर।
3. प्रभारी, कम्प्यूटर सैल, मुख्यालय कारागार, राजस्थान जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. वास्ते नोडिस बोर्ड कार्यालय हाजा चस्पा हेतु।
5. रक्षक पत्रावली।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rupinder Singh
Designation : Additional Director General Of Police
Date: 2025.06.23 19:16:17 IST
Reason: Approved

अति.महानिदेशक पुलिस
कारागार, राजस्थान, जयपुर